भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.13

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2025/ 30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया जाना है

वी डीए और क्रिप्टोकरेंसी से प्राप्त आय पर आयकर

13. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीडीए/क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित आय पर आयकर से वर्षवार कुल कितना राजस्व एकत्रित हुआ;
(ख) क्या सरकार ने बीडीए/क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से आय की कम रिपोर्टिंग/गलत रिपोर्टिंग के कारण अनुमानित राजस्व हानि के संबंध में कोई अनुमान लगाया है;
(ग) क्या सरकार बीडीए लेनदेन में कर चोरी की पहचान करने के लिए एआई/एमएल/डेटा एनालिटिक्स टूल का उपयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (बीएएसपी) द्वारा दाखिल टीडीएस रिटर्न के साथ वीडीए से संबंधित आईटीआर फाइलिंग के वास्तविक समय मिलान के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की है और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने वीडीए/क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभावी अनुपालन निगरानी और जाँच के लिए कर अधिकारियों को सक्षम बनाने हेतु कोई क्षमता-निर्माण पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीबीएच के अंतर्गत आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (वीडीए) के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर वित्त वर्ष 2022-23 से लागू किया गया था। पिछले तीन वर्षों में वीडीए से प्राप्त आय पर कर का संग्रह इस प्रकार है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**आयकर रिटर्न के अनुसार वीडीए से आय पर कर की राशि (करोड़ रु. में)**
1	2022-23	269.09
2	2023-24	437.43
3.	2024-25	डेटा अभी उपलब्ध नहीं है*

*वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अभी समाप्त नहीं हुई है।

(ख) ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) सरकार वीडीए से संबंधित लेन-देन से कर अपवंचन का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए डेटा विश्लेषण के साधनों का उपयोग कर रही है। इस विश्लेषण में नॉन-फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस), प्रोजेक्ट इनसाइट और आयकर विभाग के आंतरिक डेटाबेस का उपयोग शामिल है, ताकि वीडीए लेन-देन पर उपलब्ध जानकारी को करदाता द्वारा आयकर रिटर्न में बताए गए लेन-देन से जोड़ा जा सके।

(घ) आयकर रिटर्न में दाखिल किए गए वीडीए से संबंधित लेन-देन का वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) द्वारा दाखिल की गई जानकारी से वास्तविक समय में मिलान नहीं किया जा रहा है। तथापि वीएएसपी द्वारा दाखिल किए गए टीडीएस रिटर्न और करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न का विश्लेषण किया जाता है ताकि रिपोर्ट किए गए वीडीए लेन-देन में विसंगतियों की पहचान की जा सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आगे की कार्रवाई के लिए ऐसी विसंगतियों की पहचान करने हेतु नज़ (NUDGE) (गाइड एंड इनेबल करने के लिए डेटा का गैर-हस्तक्षेपकारी उपयोग) अभियान शुरू किया है। नज़ (NUDGE) अभियान के अंतर्गत उन सभी करदाताओं जिन्होंने ऐसे लेन-देन के लिए वीएएसपी द्वारा स्रोत पर कर कटौती करने के बावजूद, अपने आयकर रिटर्न में वीडीए से संबंधित लेन-देन की सूचना नहीं दी थी, उनको अपने आयकर रिटर्न की समीक्षा करने और उसे अद्यतन करने के लिए उपयुक्त पत्र जारी किए गए, जबकि ऐसी विसंगतियों का परिणाम 1 लाख रुपये से अधिक था।

(ङ) वीडीए से संबंधित लेनदेन की प्रभावी अनुपालन निगरानी और जाँच हेतु अधिकारियों को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा कई क्षमता निर्माण संबंधी पहल की जा रही हैं। आयकर विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष कार्यशालाएँ, चिंतन शिविर और व्यावहारिक कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय डिजिटल फोरेंसिक, ब्लॉकचेन विश्लेषण, कानूनी ढाँचे और डिजिटल साक्ष्यों के प्रबंधन पर प्रशिक्षण सत्र और वेबिनार आयोजित करते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गोवा के साथ साझेदारी में डिजिटल फोरेंसिक पर अल्पकालिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो उन्हें घुसपैठ की गतिविधियों के दौरान प्राप्त आंकड़ों से वीडीए से संबंधित लेन-देन की पहचान करने और उनका पता लगाने में सक्षम बनाता है।

*****